राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.(78)सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/659 दिनांक 25.05.2018

संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय–ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत।

प्रसंग– विभागीय पत्र क्र0एफ.(78)सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/1974 दिनांक 10.05.2017

उपरोक्त प्रासांगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प. 9(6) राज–6/2000/10 दिनांक 07.09.2017, 30.11.2017 एवं 10.05.2018 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित/ प्रतिबंधित श्रेणी /सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आये हुए ग्रामों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित ग्रामों को छोड कर यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि को भी छोड कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.01.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे करवाया जाकर, तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमि के रहवासियो को पट्टे जारी किये जाने है।

राज्य में राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार –2018, दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक चलाया जा रहा है।ग्रम पंचायतों द्वारा अभियान से पूर्व एवं अभियान के दौरान ऐसी भूमि के रहवासियो को दिए गए पट्टे की प्रगति की सूचना ई–पंचायत पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाई जावे। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में अभियान के दौरान उक्त सर्वे एवं पटटे जारी करने का कार्य नहीं हुआ है उन पंचायतों में भी सर्वे एवं पटटे जारी करने का कार्य कराया जावे और जिन ग्राम पंचायतों में अभियान होना है उनमें अभियान से पूर्व नियत प्रक्रिया को अपनाकर अभियान दिवस पर पटटे जारी कराने का कार्य सुनिश्चित करें।

आप इस अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार की संयुक्त बैठक लेकर उनको निर्देशित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 1974 दिनांक 10.05.2017 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक ऐसे भूमि के रहवासियों को पट्टे जारी हो सकें।

आपके जिलें में आयोजित न्याय आपके द्वार –2018 के अभियान की प्रगति संलग्न प्रारूप में प्रतिदिन ई–पंचायत पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्व में आयोजित अभियानों की प्रगति की सूचना भी उक्त पोर्टल पर तत्काल अपडेट कराई जावे।

(अजिताभ शर्मा) 25.5.18
शासन सचिव
राजस्व विभाग

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं
आयुक्त, पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री,राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री राजस्व विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त) को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।
9. [illegible]

संयुक्त निदेशक (मो0)
पंचायती राज विभाग

पंचायती राज - सरकारी भूमि पर पट्टों का ~~[illegible]~~ आवंटन

RCSHARMA

Integrated e-Panchayat

नोट: [illegible]
Note: It will not be possible to change or update any data / information or details you have entered. So be careful while filling the information.

नोट: [illegible]
Note: Enter the amount in Rupees where you have to enter the amount. Enter the information in all the available forms only in the numeric form. Please do not enter any special character in any [illegible]

Download [illegible] Format | Download Training PPT [illegible]

जिला परिषद् *

शिविर कैलेंडर *

पंचायत समिति *

विभाग *

ग्राम पंचायत *

पंचायती राज (सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे)

Print

सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे से सम्बन्धित सूचना

क्या ग्राम सेवक एव पटवारी द्वारा सर्वे कर लिया गया है — हाँ

सर्वे में चिन्हित कुल परिवार

उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेट अपार्ट की कार्यवाही किये गए परिवार कि संख्या

तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में आवादी भूमि में दर्ज किये गए परिवार की संख्या

ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की संख्या

आबादी भूमि में जारी पट्टे

नियम 157 के तहत पुराने भवनो का विनियमितिकरण पट्टा आवंटन अभियान की प्रगति	नियम 157 के तहत वर्ष 2003 तक के कब्जो का निःशुल्क नियमितिकरण पट्टा आवंटन की प्रगति	नियम 158 के तहत भूमि आवंटन रियायती दर पर पट्टा आवंटन अभियान की प्रगति	नियम 158 के तहत बी. पी. एल. एवं गाडिया लुहार के परिवारो को निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन पट्टा आवंटन अभियान की प्रगति	विक्रय के तहत आवंटित पट्टे की प्रगति	नियम 162 के तहत [illegible] आवंटन भूमि पट्टा आवंटन [illegible]

Save